**दिनांक 09.04.13 को सचिव, ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग के सभागार में आयोजित डी.आर.डी.ए. कार्यपालक अभियंताओं के साथ प्रथम मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-**

उपस्थिति- पृथक रूप में संधारित ।

DRDA कार्यपालक अभियंताओं/प्रभारी कार्यपालक अभियंताओं का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई । बैठक में निम्न निदेश दिये गये ।

1. कार्यपालक अभियंता / प्रभारी कार्यपालक अभियंता अपने क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत तकनीकी कर्मियों के साथ बैठक करेंगे । इस बैठक में मनरेगा अंतर्गत कराये जा रहे कार्यों की योजनावार समीक्षा करने का निदेश दिया गया । समीक्षा के फलाफल से अगली बैठक में विभाग को अवगत करायेगें ।
2. कार्यपालक अभियंता वित्तीय वर्ष 2008-09,2009-10 और 2010-11 की सभी अपूर्ण योजनाओं की अंतिम मापी, फोटोग्राफी तथा MIS पर प्रविष्टि कराकर उन योजनाओं को बंद कराना सुनिश्चित करेंगे । वित्तीय वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के अपूर्ण योजनाओं की पूर्ण करायी गयी योजनाओं की सूची अगले बैठक में विभाग को उपलब्ध कराएंगे।
3. ग्राम पंचायत द्वारा पारित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर निम्न प्रकार से योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगें :-
   (i) खेत पोखर (ii) अनुसूचित जाति की बसावटों में PCC / Inter locking tiles पथ का निर्माण तथा पहुँच पथ में Brick soling / WBM पथ का निर्माण (iii)निजी शौचालय (iv) मुर्गी आश्रय (v)बकरी आश्रय(vi) वर्मी कम्पोस्ट (vii)NADEP कम्पोस्ट(viii)मनरेगा भवन
   (ix)ग्राम पंचायत द्वारा पारित अन्य कार्य
4. समीक्षात्मक बैठक में अनुपस्थित कार्यपालक अभियंता/प्रभारी कार्यपालक अभियंताओं से स्पष्टीकरण पूछने का निर्णय लिया गया । कार्यपालक अभियंता/प्रभारी कार्यपालक अभियंता दरंभगा,मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नांलदा, सहरसा, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सिवान (कुल नौ) का0 अभियंता/प्रभारी का0 अभि0 बैठक में अनुपस्थित पाये गये ।
5. सभी कार्यपालक अभियंताओं/प्रभारी कार्यपालक अभियंताओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में ली जाने वाली योजनाओं का प्राक्कलन पंचायतों को ससमय उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ।
6. जिलों में चालू वित्तीय वर्ष में कितनी योजनाओं का तकनीकी स्वीकृति दिया गया है । इसकी संख्या आगामी बैठक में उपलब्ध करायेगें । जिस पर विभाग द्वारा समीक्षा की जायेगी ।
7. अभियंत्रण कोषांग द्वारा बनाये गये खेत पोखरी (भंडारन क्षमता 1083 घनमीटर) के दुगने भंडारन क्षमता तक की खेत पोखरी का निर्माण कराये जाने का सुझाव दिया गया ।
8. ग्रीष्म ऋतु में प्राय: खेत सूख जाता है । बारहमासी जल इक्कठा करने के लिए खेत पोखरी के लाभार्थी को लधु सिंचाई विभाग द्वारा टयूबवेल उपलब्ध कराने हेतु दोनो विभाग के स्तर से पत्र भेजने का निर्णय लिया गया ।

9. मनरेगा कार्यों के संपादन हेतु EE, AE, JE को Laptop उपलब्ध कराने पर विचार किया गया, Own your Laptop में सहमति दी गई ।

10. प्रशासनिक व्यय मद से DRDA के कार्यपालक अभियंताओं को किराये पर वाहन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया ।

11. छोटे जिलों में पदस्थापित DRDA कार्यपालक अभियंता को रिक्त जिलों का प्रभार देने का निर्णय लिया गया ।

12. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा मनरेगा के अंतर्गत कार्यरत तकनीकी पदाधिकारीयों की तकनीकी स्वीकृति की सक्षमता का प्रश्न सचिव महोदय के संज्ञान में लाया गया । तदुपरान्त इस विषय पर विचार विमर्श के पश्चात सचिव महोदय द्वारा स्पष्ट किया गया की पंचायत तकनीकी सहायक की तरह ही कनीय अभियंता की भी तकनीकी स्वीकृति देने की सक्षमता शून्य है अर्थात कनीय अभियंता/पंचायत तकनीकी सहायक द्वारा तकनीकी स्वीकृति की कोई शक्तियाँ नहीं है । इस पर सुविचारित पत्र भिजवाया जाए ।

अन्त में बैठक में उपस्थिति सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी ।

24/4/13

**(अमृत लाल मीणा)**
सचिव
ग्रा0वि0वि0
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 146558 /ग्रा0वि0वि0, बिहार, पटना, दिनांक 25/04/2013
संचिका सं0- ग्रा0वि08-(म)/विविध-05/2013 प्रतिलिपि माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आयुक्त, मनरेगा, सभी उप विकास आयुक्त एवं सभी जिलों में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता/प्रभारी कार्यपालक अभियंता, DRDA को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

२५.४.१३

**सचिव**